प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स .....475/22..... दिनांक .....15/12/2022.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 7ए. पी.सी. एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120 बी.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....288..... समय .....7:45PM.....
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 14.12.2022 समय 02.10 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12.12.2022 समय 9.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 201 किलोमीटर
(2) पता – उखलिया रोड़ स्थित रूपाहेली चौराहा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री हनुमान दरोगा
(2) पिता का नाम : श्री नन्दा दरोगा
(3) आयु : 28 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : कृषक
(7) पता : निवासी देवरिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री हरीशंकर पुत्र श्री गणपतलाल जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी जाट मोहल्ला तेजाजी का चोक हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया पंचायत समिति हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री रामकुंवार पुत्र श्री उगमा जाट उम्र 45 वर्ष निवासी जुन्नी खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति)।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	24000 रूपये	आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम

विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री हनुमान व उसके भाई तथा अन्य साथीगणों के आवासीय पट्टे जारी करने व उसकी रजिस्ट्री कराने की एवज में 24000 रूपये रिश्वत राशि प्राईवेट व्यक्ति श्री रामकुंवार के मार्फत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 24000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा।

विषय : – रिश्वत खोर सचिव को रंगे हाथें पकड़वाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा व मेरे भाई लक्ष्मण, लवकुश दरोगा व कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव, वेदराज वैष्णव का ग्राम देवरिया में आवासीय मकान ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत ऊंखलिया में है। उन सभी के आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत ऊंखलिया के ग्राम विकास अधिकारी हरीशंकर को दिनांक 27.10.21 को प्रार्थना पत्र देकर आवेदन शुल्क की रसीदे प्राप्त की थी, ग्राम विकास अधिकारी हरीशंकर से मिला तो हम सभी के पट्टे जारी कर रजिस्ट्री करवाने की एवज में प्रत्येक पट्टे के 8000 –8000 रुपये रिश्वत की मांग की। हम सभी गरीब आदमी है। भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ऊंखलिया को रिश्वत नहीं देना चाहते है। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। मेरी व उक्त लोगो की हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी से किसी तरह की रंजिश नहीं है और ना हि कोई उधार का लेनदेन है। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाने की कार्यवाही कराने की सहमति हम सभी हनुमान दरोगा को देते है। इस सम्बंध में रसीदे एवं लिखित सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहे है। मेरे साथ घनश्याम वैष्णव साथ आया है। उपरोक्त सारी कार्यवाही मुझ प्रार्थी हनुमान दरोगा द्वारा कराई जावेगी। कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक 12.12.22

प्रार्थी
एस.डी./–
हनुमान पिता नन्दा दरोगा
ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत उखलीया
मो. 7665133482

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 12.12.2022 को समय 9.00 ए.एम. पर परिवादी श्री हनुमान पुत्र श्री नन्दा दरोगा निवासी देवरिया ग्राम पंचायत उंखलिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा मय श्री घनश्याम वैष्णव पुत्र श्री नन्दा दास निवासी देवरिया ग्राम पंचायत उंखलिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पुलिस निरीक्षक नरसीलाल के समक्ष उपस्थित हो एक लिखित रिपोर्ट स्वयं हस्तलिखित इस आशय की पेश की कि '' मेरा व मेरे भाई लक्ष्मण, लवकुश दरोगा व कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव, वेदराज वैष्णव का ग्राम देवरिया में आवासीय मकान ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत ऊंखलिया में है। उन सभी के आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत ऊंखलिया के ग्राम विकास अधिकारी हरीशंकर को दिनांक 27.10.21 को प्रार्थना पत्र देकर आवेदन शुल्क की रसीदे प्राप्त की थी, ग्राम विकास अधिकारी हरीशंकर से मिला तो हम सभी के पट्टे जारी कर रजिस्ट्री करवाने की एवज में प्रत्येक पट्टे के 8000 –8000 रुपये रिश्वत की मांग की। हम सभी गरीब आदमी है। भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ऊंखलिया को रिश्वत नहीं देना चाहते है। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। मेरी व उक्त लोगो की हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी से किसी तरह की रंजिश नहीं है और ना हि कोई उधार का लेनदेन है। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाने की कार्यवाही कराने की सहमति हम सभी हनुमान दरोगा को देते है। इस सम्बंध में रसीदे एवं लिखित सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहे है। मेरे साथ घनश्याम वैष्णव साथ आया है। उपरोक्त सारी कार्यवाही मुझ प्रार्थी हनुमान दरोगा द्वारा कराई जावेगी। कानूनी कार्यवाही करावे।'' प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री हनुमान दरोगा व श्री घनश्याम वैष्णव मय रिपोर्ट के साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–द्वितीय पर उपस्थित श्री बृजराजसिंह जी चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास हालात अर्ज करने हेतु रवाना हो परिवादी का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को प्रस्तुत किया व हालात अर्ज किये। परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिये मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया एवं परिवादी के प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकन किया। बाद निर्देश मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपस्थित कार्यालय

आया। परिवादी को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में आवश्यक समझाईश की गई तो परिवादी श्री हनुमान ने बताया कि मैं रिश्वत राशी मांग सत्यापन की कार्यवाही आज ही तहसील कार्यालय हुरडा में हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ऊंखलिया से करवा दूंगा। जिस पर कार्यालय में पदस्थापित श्री गजेन्द्रसिंह कान्सटेबल नम्बर 205 से कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री हनुमान दरोगा, घनश्याम वैष्णव से श्री गजेन्द्रसिंह कानि. का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधी समझाई जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर ब्यूरो कार्यालय से समय 10.40 ए.एम पर हुरड़ा के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी के साथ आये श्री घनश्याम वैष्णव को रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक को जर्ये दूरभाष श्री गजेन्द्रसिंह कानि. ने समय 4.45 पी.एम. पर बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता हो चूकी है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री हनुमान से जरिये दूरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं व श्री गजेन्द्रसिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय हुरड़ा पहुँचे जहां पर श्री हरिशंकर जाट सचिव तहसील कार्यलय में उपस्थित मिला तथा तहसील कार्यालय के वहां पर मेरे गांव के लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव व वेदराज भी वही पर आ गये थे श्री हरिशंकर जाट सचिव से पट्टे व रजिस्ट्री के बारे में बातचित की तो उनके द्वारा मेरे, लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, वेदराज व घनश्याम वैष्णव का पट्टा जारी करने व रजिस्ट्री कराने के लिये रिश्वत राशि की 24000 रुपये की मांग की। मेरी हरीशंकर सचिव से रिश्वत राशि मांग वार्ता के समय मेरे गांव वाले भी बातचीत कर रहे थे जिसकी आवाज भी रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। परिवादी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 13.12.22 को उपस्थित होने की हिदायत देकर वही पर रूखसत कर श्री गजेन्द्रसिंह कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद समय 6.40 पी.एम. पर श्री गजेन्द्रसिंह कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुए पूर्व में दूरभाष पर बताई वार्ता की ताईद की तथा इस पर मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य अन्य लोगों की वार्ता के अनुसार आरोपी द्वारा पट्टो की रजिस्ट्री करवाने की ऐवज में 24000 रूपये मांग करना पाया गया। मगर अन्य लोगो की आवाजे अधिक होने के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट रूप से नहीं होने पुनः सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया। दिनांक 13.12.2022 समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ एक व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आया जिस पर परिवादी श्री हनुमान ने बताया कि यह व्यक्ति श्री कैलाश पुत्र श्री नन्दादास वेष्णव निवासी देवरिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा है तथा आरोपी श्री हरिशंकर जाट सचिव द्वारा जो पट्टे जारी करने व रजिस्ट्री कराने के लिये हम छः व्यक्तियों से रिश्वत राशि मांग की गई उनमें से यह कैलाश भी एक है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक का परिचय श्री कैलाश को दिया जाकर परिवादी श्री हनुमान को बताया कि दिनांक 12.12.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् अन्य लोगों की भी वार्ताए अधिक है जिसके कारण सत्यापन स्पष्ट रूप से नही होने से आज पुनः जाकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धित स्पष्ट रूप से वार्ता करनी है। इस पर परिवादी के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुना गया। तथा परिवादी नें आरोपी से पुनः रिश्वत राशी मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की कहने पर पुनः सत्यापन कराने की स्वीकृति दी। उसके बाद समय 2.15 पी.एम. पर कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री गजेन्द्रसिंह कानि. को सिपुर्द कर परिवादी श्री हनुमान व कैलाश के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय हुरड़ा की ओर रवाना किया गया। श्री गजेन्द्रसिंह कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष समय 5.20 पी.एम. पर बताया कि आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धित वार्ता हो चूकी है तथा आरोपी द्वारा परिवादी व अन्य व्यक्तियों के पट्टे जारी करने व रजिस्ट्री कराने की एवज में कुल 24000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ है। उक्त बातचीत हो परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से बात की तो परिवादी ने भी उक्त हालात की ताईद करते हुए बताया कि आरोपी श्री हरिशंकर जाट को दी जाने वाली रिश्वत राशि 24000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 14.12.2022 को आपके कार्यालय में प्रातः उपस्थित हो जांउगा अभी मैं यही रूकना चाह रहा हूँ। जिस पर श्री गजेन्द्रसिंह कानि. को परिवादी को रूख्सत कर डिजिटल टेप रिकॉर्ड सुरक्षित हालात में लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देश दिये। चूंकि श्री गजेन्द्रसिंह कानि. द्वारा बताये गये हालात अनुसार ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 1684 दिनांक

13.12.2022 से श्रीमान् भूं प्रबन्धक अधिकारी भीलवाड़ा से दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द कर लाने हेतु कार्यालय में पदस्थापित श्री पवन कुमार कानि. को रवाना किया गया। जिस पर श्री पवनकुमार कानि. के साथ स्वतन्त्र गवाह श्री संजयकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश मेघवाल कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजीव खींचड़ पुत्र श्री सोहनलाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय भूं प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा उपस्थित आये जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर दिनांक 14.12.2022 को प्रातः 9.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये जाकर उक्त दोनों गवाह को रूखसत किया गया तथा कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को भी प्रातः 9.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये तथा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा से वार्ता कर भ्र. नि. ब्यूरो द्वितीय पर पदस्थापित श्री शिवराजसिंह कानि. को प्रातः 9.00 ए.एम. पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 7.30 पी. एम. पर श्री गजेन्द्रसिंह कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश कर पूर्व में दूरभाष पर बतायी वार्ता की ताईद की। मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को रिकॉर्डर चलाकर सुना गया तो परिवादी तथा श्री गजेन्द्रसिंह कानि. के द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपी श्री हरीशंकर जाट सचिव ग्राम पंचायत उखलिया के द्वारा 24000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 14–12–22 को समय 8.30 ए.एम. पर परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ श्री कैलाश निवासी देवरिया ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिन्होने दिनांक 13.12.22 रिश्वत राशी मांग सत्यापन की कार्यवाही के हालात श्री गजेन्द्रसिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की परिवादी द्वारा ताईद करते हुए बताया कि श्री हरीशंकर जाट सचिव द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 24000 रूपये की व्यवस्था कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आया हूँ। इस पर परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ आये श्री कैलाश को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। समय 9.00 ए.एम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री संजयकुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजीव खींचड़ कनिष्ठ सहायक कार्यालय भूं प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिनका परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ आये श्री कैलाश का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी श्री हनुमान की रिपोर्ट दिनांक 12.12.22 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द–ब–शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इस समय पाबन्दशुदा कानि. शिवराज 235 भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय से कार्यवाही में इमदाद हेतु उपस्थित आया। उसके बाद दिनांक 12–12–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हनुमान व उसके साथीगण की वार्तालाप आरोपी श्री हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी के मध्य आमने सामने तहसील कार्यालय हुरड़ा के सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री पवनकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को एक कागज के लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को नियमानुसार सिलचिटबंद की गयी एवं डब पेनड्राईव को कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट भी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। उसके बाद दिनांक 13–12–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हनुमान व उसके साथी श्री कैलाश की वार्तालाप आरोपी श्री हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी के मध्य आमने सामने बावड़ी चौराहा गुलाबपुरा स्थित चाय की होटल पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री पवनकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जाकर मूल व डब पेनड्राईव को एक कागज के लिफाफे में रखकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को नियमानुसार सिलचिटबंद की गयी। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट भी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। उसके बाद गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस नरसी लाल मीणा द्वारा परिवादी श्री हनुमान दरोगा को आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया को रिश्वत के रूप में दी जानी वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 48 नोट कुल 24,000 रूपये प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया

गया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री देवीलाल जंगलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री देवीलाल जंगलिया से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हनुमान दरोगा की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई जाकर कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री देवीलाल जंगलिया से परिवादी की पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये । तत्पश्चात श्री पवन कुमार कानि. 417 से एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री देवीलाल जंगलिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री पवन कुमार कानि. 417 से कार्यालय से बाहर फिकवाया जाकर फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को श्री देवीलाल जंगलिया से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोल्फथलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री देवीलाल जंगलिया के हाथों एवं कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा मांगने पर रिश्वत राशि उसे या उसके कहने पर देवे रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्थन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री पवन कुमार कानि. 417 से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री देवीलाल जंगलिया को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद समय 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल नें परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ आये श्री कैलाश की निजी मोटरसाईकिल से उसके साथ श्री गजेन्द्रसिंह कानि. नम्बर 205 सहित वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु हुरड़ा की ओर आगे-आगे चलने की हिदायत देकर रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक सरकारी वाहन टवेरा से श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री पवनकुमार कानि. 417, श्री शिवराजसिंह कानि. नम्बर 235, श्री श्रवणकुमार हैड कानि. नम्बर 110, श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री राजीव खींचड़ व श्री संजयकुमार मय लेपटोप व प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स सहित ट्रेप कार्यवाही हेतु हुरडा के लिये रवाना होकर समय 1.30 पी.एम. पर गुलाबपुरा के पास पहुँच गाडी साईड में खडी कर परिवादी श्री हनुमान व साथी कैलाश को श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी उखलिया की लोकेशन मालूमात करने की कहा तो लोकेशन मालूम कर कैलाश वैष्णव नें बताया कि श्री हरीशंकर ग्राम विकास अधिकारी अभी ग्राम पंचायत ऊँखलिया में है। जिनसे मेरी वार्ता हुई है जिन्होने मुझे कहा कि रूपाहेली भट्टा चौराहा पर कुछ समय पश्चात् आ रहा हूँ वहीं मिलना जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन से मय हमराहीयान रूपाहेली चौराहा पहुंचए सरकारी वाहन को साईड में खडा कर तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर पुनः चालु व बन्द करने की समझाईश देकर सुपुर्द किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान एवं स्वतन्त्र गवाह आस-पास अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए खड़े हो नजर रखते हुए सभी सदस्य परिवादी श्री हनुमान के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 02.07 पी.एम. पर परिवादी श्री हनुमान के पास एक व्यक्ति स्कूटी व एक दूसरा व्यक्ति दूसरी मोटरसाईकिल लेकर आये तथा मोटरसाईकिल पर ही बैठे-बैठे परिवादी से बातचीत कर रहे थे इसी दौरान् परिवादी श्री हनुमान ने अपने पेन्ट की जैब से रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि निकालकर स्कूटी वाले व्यक्ति पास ही मोटरसाईकिल लेकर खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा किया और परिवादी नें रूपये उक्त व्यक्ति को दिये तत्पश्चात् परिवादी श्री हनुमान ने समय 2.10 पी.एम. पर निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व

दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज–तेज कदमो से चलकर परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप का डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु हालत में सिपुर्द की जिसे बन्द कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने सामने स्कूटी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया है जिन्होने मेरे, लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव व वेदराज का आवासीय भूमि पट्टा जारी कर रजिस्ट्री कराने की एवज में इनकी मांग के अनुसार 24000 रूपये रिश्वत राशि इनके कहने पर इनके साथ अन्य मोटरसाईकिल से आये हुए व्यक्ति को देने की कहने पर मैंने 24000 रूपये मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति को दिये जो इन्होने लेकर अपनी पहनी हुयी कमीज की उपरी बायीं जेब में रख लिये है जो अभी भी इनकी जेब में रखे हुये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरीशंकर पुत्र श्री गणपतलाल जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी जाट मोहल्ला तेजाजी का चोक हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया पंचायत समिति हुरड़ा जिला भीलवाड़ा होना बताया तथा पास अन्य मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति जिसने आरोपी के कहे अनुसार रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए कमीज की उपर की बायीं जैब में रखी जिसे भी मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देते हुए उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री रामकुंवार पुत्र श्री उगमा जाट उम्र 45 वर्ष निवासी जुन्नी खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा होना बताया। इस पर उक्त दोनो को लेकर पास ही स्थित दूकान के बरामदे में पहुँचे तत्पश्चात् आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री हनुमान से उसके, लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव व वेदराज का आवासीय भूमि पट्टा जारी कर रजिस्ट्री कराने की एवज में रिश्वत राशि मांगकर 24000 रूपये रिश्वत राशि श्री रामकुंवार जाट को दिलवाने के सम्बन्ध में पुछने पर श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि साहब गलती हो गई है माफ कर दो आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा इस काफी हाथा जोड़ी कर गिड़गिड़ाने लगा है तथा कहा कि रिश्वत राशि के मैंने हाथ नहीं लगाया हे तथा रामकुंवार जी ये मेरे मिलने वाले है इन्हीं के पास है। इस पर पास ही खड़े श्री रामकुंवार जाट को रिश्वत राशि परिवादी श्री हनुमान से ग्रहण कर अपनी कमीज की जैब में रखने के बारे में पुछने पर श्री रामकुवार जाट ने बताया कि साहब इस हरीशंकर ने मेरे साथ धोखा कर दिया है इसने मुझे धोखे में रखकर मेरे को इसके साथ चाय पीने आने के लिये बोला था इसलिये मैं इसके साथ मेरी मोटरसाईकिल से आ गया और यहा आकर रूकने पर श्री हरीशंकर ने मेरे को यह रूपये लेने के लिये बोला था इसलिये मैंने यह रूपये लेकर मेरी पहनी हुयी कमीज की उपर की बायीं जैब में रख लिये है जो अभी भी मेरे कमीज की जैब में ही रखे हुये है। साहब मैं गरीब आदमी हूँ इस हरीशंकर ने मुझे फंसा दिया, रूपयो के सम्बंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

प्रकियानुसार आरोपी श्री रामकुंवार जाट (प्राईवेट व्यक्ति) के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री पवनकुमार कानि. से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलास निकलाकर पास ही होटल पर रखे पानी की केन में से उक्त कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामकुंवार जाट के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराया जाकर मार्क आर.एच.–1 व आर. एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामकुंवार जाट (प्राईवेट व्यक्ति) के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराया जाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री रामकुंवार जाट के पहने हुए कमीज की उपरी बायीं जैब से रिश्वत राशि गवाह श्री राजीव खींचड़ से निकलवाये गये तो 500–500 रूपये के 48 नोट कुल राशि 24,000 रूपये बरामद हुए जिनके नम्बर निम्नप्रकार है. . .

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9UP	679173
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3PB	663352
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2UM	085859

4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9DM	449448
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4QA	627454
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7RH	470164
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4ET	222354
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7HV	353948
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0HQ	092157
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2KG	223861
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BU	670631
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DK	208848
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2SE	691757
14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7AU	610756
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5QN	925877
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BA	724355
17	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5NE	223949
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4UD	814889
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9KD	237068
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0KV	180267
21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7GP	800393
22	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4TA	098352
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1UL	396425
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MN	045184
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2MS	149644
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3FE	347944
27	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6EM	172534
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6CB	980912
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6HP	649924
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AH	194134
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0UN	574331
32	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5PK	070183
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7LC	172098
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1DP	365181
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7RB	711030
36	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4LL	203218
37	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8SW	550737
38	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UM	093797
39	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8RS	216302
40	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FP	258194
41	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8AN	753978
42	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4AA	934308
43	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0RB	127589
44	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8KB	943325
45	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2VT	346493
46	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CL	889365
47	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4QU	422513
48	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5FE	645895

उपरोक्त नोटों का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से गवाहों से करवाया गया तो मिलान हुबहु होना बताया। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट बन्द करा मार्क N अंकित कर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये उसके बाद पास ही दूकान से एक कमीज और मंगवाया जाकर श्री रामकुवार जाट के पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उक्त कमीज उतरवाई जाकर नई खरीदी हुई कमीज पहनाई जाकर तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में श्री रामकुंवार जाट के पहने हुए कमीज की उपर की बायीं जैब को उलटवाई जाकर धोया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद नियमानुसार कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त शर्ट की जैब को सुखाया जाने के बाद जैब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपड़े की थेली में उक्त कमीज रखकर नियमानुसार सिलचिट किया जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री हनुमान से उसके, लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव व वेदराज का आवासीय भूमि पट्टा जारी कर रजिस्ट्री कराने के दस्तावेज के बारे में दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुछने पर बताया कि उक्त सभी के पट्टे जारी कर दिये है तथा रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने के लिये हुरड़ा तहसील परिसर में स्थित श्री देव कम्प्यूटर्स पर श्री रामकुंवार गुर्जर को देकर आया हूँ जो मूल पट्टे उसी के पास है तथा उनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने के बाद मैं वहां जाकर इनकी रजिस्ट्री करवा देता। इसके अलावा पट्टे के जारी करने के लिये दस्तावेज के बारे में पुछा तो उसने अपने मोटरसाईकिल पर रखे बेग से श्री हनुमान, लक्ष्मण, लवकुश, कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव व वेदराज का आवासीय भूमि पट्टे की मिसल पत्रावलियां मूल ही पेश की तथा बैठक रजिस्टर, दो रसीद बुक व एक पट्टा बुक सम्बन्धित रिकॉर्ड पर दोनो गवाहान, परिवादी श्री हनुमान व आरोपी श्री हरीशंकर जाट के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। हुरड़ा तहसील कार्यालय परिसर में स्थित श्री देव कम्प्यूटर्स पर श्री रामकुंवार गुर्जर के पास परिवादी व उसके साथीगणों के पट्टों के दस्तावेज होना आरोपी श्री हरीशंकर जाट ने बताया जो प्राप्त कर लाने हेतु श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। कार्यवाही के दौरान् ही श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक परिवादी व उसके साथीगणों के मूल पट्टे का रिकॉर्ड श्री देव कम्प्यूटर्स से प्राप्त कर लाया जिसका अवलोकन किया तो अलग–अलग कुल 6 मूल पट्टे एवं रजिस्ट्री के दस्तावेज होना पाया गया जिसमें से उक्त पट्टों का विवरण इस प्रकार है 1. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 09, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 09 जो कि श्री हनुमान पुत्र नन्दा दरोगा निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। 2. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 35, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 35 जो कि श्री लक्ष्मण दरोगा पुत्र नन्दा दरोगा निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। 3. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 34, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 34 जो कि श्री लवकुश दरोगा पुत्र नन्दा दरोगा निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। 4. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 26, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 26 जो कि श्री कैलाश वैष्णव पुत्र नन्दादास वैष्णव निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। 5. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 01, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 01 जो कि श्री घनश्याम पुत्र नन्दादास वैष्णव निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। 6. एक मूल पट्टा आवासीय भूमि का जिसके पट्टा संख्या 28, बुक संख्या 2021/65, मिसल संख्या 28 जो कि श्री वेदराज पुत्र नन्दादास निवासी देवरिया के नाम पर दिनांक 05.12.2022 को जारी होना अंकित है तथा उक्त पट्टे पर आनन्दी सरपंच एवं श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मूल पट्टों की फोटो प्रति करवाई जाकर मंगवाई गई तथा मूल

पट्टों की फोटो प्रतियां पर परिवादी, दोनों गवाहान एवं आरोपी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपीगणों के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपीगणों ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। घटना स्थल सार्वजनिक स्थान एवं चौराहा होने से भीड भाड अधिक इकट्ठी होने पर कार्यवाही में संकट उत्पन्न होने की आशंका को मध्यनजर रखते हुये एवं लिखित कार्यवाही करने का सुरक्षित स्थान नहीं होने से परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा समय 04.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य मय आरोपीगण श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी, श्री रामकुवार जाट प्राईवेट व्यक्ति मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टीकल्स सहित परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ श्री कैलाश सहित जरिये सरकारी वाहन एवं निजी मोटरसाईकिलों से रवाना आरोपी श्री हरीशंकर जाट के हुरड़ा स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी के लिये होकर जाट मोहल्ला हुरड़ा पहुँचा तथा आरोपी श्री हरीशंकर जाट के आवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद समय 6.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरसी लाल, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य मय आरोपीगण श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी, श्री रामकुवार जाट प्राईवेट व्यक्ति मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टीकल्स सहित परिवादी श्री हनुमान व उसके साथ श्री कैलाश सहित जरिये सरकारी वाहन एवं निजी मोटरसाईकिलों से रवाना आरोपी श्री हरीशंकर जाट के हुरड़ा स्थित रिहायशी मकान से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना होकर समय 7.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा-प्रथम पर उपस्थित आया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौके की घटनाक्रम की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद दिनांक 14-12-22 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी की वार्तालाप आरोपी श्री हरीशंकर जाट व श्री रामकुवांर प्राईवेट व्यक्ति से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई, उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी व तीसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री पवनकुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल व डब पेनड्राईव को अलग-अलग लिफाफे में रखकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को नियमानुसार सिलचिटबंद की गयी। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद समय 9.15 पी.एम. आरोपी श्री हरीशंकर जाट को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 9.25 पी.एम. पर आरोपी श्री रामकुंवार जाट प्राईवेट व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार करवाया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु पुलिस थाना सुभाषनगर में जमा करवाया गया। उसके बाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड पृथक से जरिये फर्द वजह सबुत जब्त किया गया जाकर कार्यवाही के दौरान् उपयोग में ली गई नमूना सील को नष्ट किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये।

आरोपीगण श्री हरीशंकर जाट एवं श्री रामकुंवार जाट को लेकर माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा के समक्ष पेश किया गया जहां से जे.सी. का आदेश प्राप्त होने पर आरोपीगणों को नियमानुसार जे.सी. रिमाण्ड हेतु कारागृह भीलवाड़ा को संभलाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इस समय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये।

इस प्रकार परिवादी श्री हनुमान पुत्र श्री नन्दा दरोगा निवासी देवरिया ग्राम पंचायत उखलिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 12-12-2022 पर नियमानुसार मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया था तो सत्यापन के दौरान आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया पंचायत समिति हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी, लक्ष्मण, लवकुश दरोगा व कैलाश वैष्णव, घनश्याम वैष्णव, वेदराज वैष्णव के आवासीय मकान का पट्टा बनाने एवं रजिस्ट्री करवाने की एवज में रिश्वत राशि कुल 24000 रूपये की मांग की गई। इस प्रकार रिश्वती राशि के मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 14-12-22 को नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने पर परिवादी श्री हनुमान से आरोपी श्री हरीशंकर जाट ग्राम

विकास अधिकारी द्वारा रूपाहेली चौराहे पर प्राईवेट व्यक्ति श्री रामकुंवार जाट के मार्फत 24000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर रिश्वती राशि आरोपी श्री रामकुंवार के पहने हुए कमीज की उपरी बांयी जेब से बरामद हुई। मौके पर ही आरोपी श्री रामकुंवार के दोनो हाथों तथा कमीज की जैब का धोवन नियमानुसार लिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी श्री हरीशंकर जाट ने परिवादी से 24000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर श्री रामकुंवार जाट प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने जो उसने अपने हाथों से ग्रहण कर अपने पहने हुए कमीज की जैब में रखी जो मौके पर बरामद की गयी। ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही परिवादी से संबंधित रिकॉर्ड नियमानुसार जप्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही आरोपीगणों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री हरीशंकर पुत्र श्री गणपतलाल जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी जाट मोहल्ला तेजाजी का चोक हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत उखलिया पंचायत समिति हुरड़ा जिला भीलवाड़ा एवं श्री रामकुंवार पुत्र श्री उगमा जाट उम्र 45 वर्ष निवासी जुन्नी खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(नरसी लाल)
पुलिस निरीक्षक
भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरसी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री हरिशंकर पुत्र श्री गणपत लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उखलिया, पंचायत समिति हुरड़ा जिला भीलवाड़ा एवं श्री रामकुंवार जाट पुत्र श्री उगमा जाट (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी जुन्नी खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 475/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 4062-64 दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला स्थापना समिति, जिला परिषद् भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

15.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।